# निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
# उद्यान भवन,चौबटिया,रानीखेत (अल्मोड़ा)

**पत्रांकः** 5123 **/दो–34(3)/2023–24**
**दिनांकःचौबटियाःमार्चः29/2024**

## –: कार्यालय ज्ञाप :–

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या–198739/XXX(2)/ई–33080 दिनांक 14.03.2024 द्वारा लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के संदर्भ में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2024–25 हेतु विभागान्तर्गत प्रत्येक संवर्ग में पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों के स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत सीमित रखने का निर्णय लिया गया है। स्थानान्तरण अधिनियम में निहित प्राविधानों के आलोक में समय–समय पर आहूत होने वाली बैठकों हेतु निम्नानुसार विभागीय समिति का गठन किया जाता हैः–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1– | **बृजेश कुमार गुप्ता,**<br>संयुक्त निदेशक,<br>निदेशालय, मुख्यालय | – | **अध्यक्ष** |
| 2– | **डा0 रजनीश सिंह,**<br>उपनिदेशक (स्थापना)<br>निदेशालय, मुख्यालय | – | **सदस्य** |
| 3– | **श्रीमती अंजू करगेती,**<br>मुख्यय प्रशासनिक अधिकारी,<br>निदेशालय, मुख्यालय | – | **सदस्य** |
| 4– | **श्री दीवान सिंह नेगी,**<br>सहायक लेखाधिकारी,<br>निदेशालय मुख्यालय | – | **सदस्य** |
| 5– | **श्री आर0एस0बोरा,**<br>प्रशासनिक अधिकारी,<br>निदेशालय मुख्यालय | – | **सदस्य सचिव** |

स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 में स्थानान्तरण हेतु समय सारिणी निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य स्थल का मानक के अनुसार चिन्हीकरण की तिथि 31 मार्च निर्धारित की गयी है, अर्थात 31 मार्च तक चिन्हांकन किया जाना है। स्थानान्तरण अधिनियम में निहित प्राविधानों के आलोक में सुगम दुर्गम कार्यस्थलों के चिन्हांकन हेतु समिति की बैठक दिनांकः 30.03.2024 को प्रातः 11:00 निदेशालय उद्यान भवन चौबटिया में आहूत की जाती है। समिति से अपेक्षा की जाती है कि सुगम दुर्गम कार्यस्थलों का चिन्हांकन कर संस्तुति सहित आख्या/रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें साथ ही वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024–25 हेतु समय–समय पर आहॅूत होने वाले बैठकों की तिथि से पृथक से अवगत कराया जायेगा।

( दीप्ति सिंह )
निदेशक

**पत्रांक** 5123 /उक्तदिनांकित

**प्रतिलिपि–** **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–**

1– संबंधित अधिकारी (अध्यक्ष/सदस्य)।
2– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सामान्य प्रशासन)।
3– पटल सहायक, स्थापना अनुभाग।

( दीप्ति सिंह )
निदेशक